UGC समता नियमों की समीक्षा: समान संरक्षण और भरोसेमंद प्रक्रिया

समाचार-संदर्भ: 2026-11-05 | **प्रकाशन:** 7 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II: उच्च शिक्षा, समानता और नीति-निर्माण



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

5 नवंबर 2026 को केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह **UGC के उच्च शिक्षण संस्थानों में समता-संवर्धन नियम, 2026** पर दोबारा विचार के लिए समिति बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन नियमों की अधिसूचना13 जनवरी को हुई थी और न्यायालय ने29 जनवरी को उन पर रोक लगाई थी। समिति पर विचार को नियमों के अंतिम संशोधन, रोक हटने या पूरे विवाद के निस्तारण की घोषणा न समझें।

समता और समानता में क्या अंतर है

समानता समान गरिमा और कानून के समान संरक्षण की माँग है। **समता** उन वास्तविक बाधाओं को पहचानती है जिनके कारण कुछ समूह समान अवसर का उपयोग नहीं कर पाते। सहायता-व्यवस्था का लक्ष्य अवसर को वास्तविक बनाना है, लेकिन उसकी परिभाषाएँ और शिकायत-प्रक्रिया निष्पक्ष, स्पष्ट तथा संवैधानिक होनी चाहिए।

नियमों का घोषित उद्देश्य

PCSMANTRA.COM

अधिसूचना में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव दूर करने तथा उच्च शिक्षा में समावेशन बढ़ाने का उद्देश्य है। इसमें समान अवसर केंद्र, समता समिति, संस्थागत जिम्मेदारी और शिकायतों पर कार्रवाई का ढाँचा दिया गया है। ये अधिसूचित पाठ के प्रावधान हैं; न्यायालय की रोक की स्थिति को साथ पढ़ना जरूरी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के समन्वय और मानकों से जुड़ी वैधानिक संस्था है। किसी नियम का सामाजिक उद्देश्य महत्त्वपूर्ण होने पर भी उसकी परिभाषा, प्रक्रिया और अधिकारों पर असर की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

विवाद की जड़

समाचार-रिपोर्ट के अनुसार विवाद का एक प्रमुख बिंदु **नियम 3(1)(c)** की जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष सुरक्षा के दायरे पर सवाल उठाया। दूसरी ओर पाठ की

व्यापक भेदभाव-परिभाषा को भी साथ पढ़ना जरूरी है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि पूरी अधिसूचना में अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ हर प्रकार का भेदभाव मान्य कर दिया गया था। वास्तविक प्रश्न अलग परिभाषाओं, संरक्षण के दायरे और प्रक्रिया के बीच संबंध का है। न्यायालय की टिप्पणी को अंतिम संवैधानिक फैसला मानना भी उचित नहीं।

अच्छी शिकायत-व्यवस्था की कसौटियाँ

- **सुलभता:** विद्यार्थी शिकायत कहाँ करे, किस समय-सीमा में उत्तर मिले और सहायता कैसे मिले, यह स्पष्ट हो।
- **निष्पक्षता:** शिकायतकर्ता की सुरक्षा के साथ आरोपित व्यक्ति को सुनवाई और उत्तर देने का अवसर मिले।
- **विशेष जरूरत:** ऐतिहासिक वंचना और संस्थागत बाधाओं की पहचान हो, लेकिन प्रक्रिया अस्पष्ट वर्गीकरण पर न टिकी हो।
- **गोपनीयता:** पहचान और संवेदनशील विवरण सुरक्षित रहें; प्रतिशोध से बचाव हो।
- **जवाबदेही:** समिति की स्वतंत्रता, हित-संघर्ष, अपील और कार्रवाई की निगरानी स्पष्ट हो।

आगे की राह

समीक्षा में विद्यार्थियों, शिक्षकों, वंचित समूहों, विधि विशेषज्ञों और संस्थानों की बात सुनी जानी चाहिए। समस्या केवल नई समिति बनाने से हल नहीं होगी; समान अवसर, प्रभावी शिकायत-निवारण, स्पष्ट परिभाषाएँ और निष्पक्ष प्रक्रिया को एक साथ आगे बढ़ाना होगा। **अनुच्छेद 14, 15 और 21** से जुड़े सिद्धांत नीति के उद्देश्य और उसके क्रियान्वयन, दोनों की कसौटी हैं।

> अधिकार और जवाबदेही का संबंधित अध्ययन: **संस्थागत व्यवस्था और स्वास्थ्य तक पहुँच**

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विशेष संरक्षण और निष्पक्ष शिकायत-प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भूमिका में:
उच्च शिक्षा में समान अवसर और समता की जरूरत बताएं।

मुख्य भाग में:
ऐतिहासिक वंचना, स्पष्ट परिभाषा, सभी हितधारकों की सुनवाई, गोपनीयता और स्वतंत्र निवारण पर चर्चा करें। लंबित न्यायिक प्रश्न को अंतिम निर्णय न बताएं।

निष्कर्ष में:
संवैधानिक समानता और भरोसेमंद संस्थागत प्रक्रिया को साथ रखें।

स्रोत

- UGC:13 जनवरी 2026 की मूल अधिसूचना
- 5 नवंबर:केंद्र का समीक्षा-समिति पर कथन

PCSMANTRA.COM